



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-35/2020-21/ 1387

Date 11.12.2020

To

✓
All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Payment of Pension/ Family Pension at revised rate to the Honourable Former Members elected from Chhattisgarh State – reg.

Ref: 1. Letter No. 10592/L.A.S./Pension/161/2020 and 10594/L.A.S./Pension-96iv/2020 dated 14.10.2020 of Chhattisgarh Legislative Assembly Secretariat.
2. SSA No. Pension/Revision/M.L.A./A/R-2/799 dated 11.11.2020 received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Chattisgarh regarding payment of Pension/ Family Pension at revised rate to the Honourable Former Members elected from Chhattisgarh State. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link “Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners”. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully


26/12/2020
Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Accountant General (A&E)
Chhattisgarh, Raipur
(For information)

-sd-
Sr. Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

21/11/2020

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

दिनांक: 11/11/2020

क्र. पेन्शन/पुन.पेंशन/एम.एल.ए./अ/आर-2/ 799 प्रति.

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 O/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh-791110
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कंसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, सैची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारखे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 Senior Accounts Officer (Establishment & Pension) O/o the Accountant General (A&E), II UP Audit Bhawan Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow, UP-226010
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), तेलंगाना, हैदराबाद-500004

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन का भुगतान किए जाने विषयक।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 10592 /वि.स./स.ले./पेंशन/161/2020 एवं 10594 /वि.स./स.ले./पेंशन-96iv/2020 दिनांक 14/10/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 445 दिनांक 28/09/2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य सके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को दिनांक 28/09/2020 से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन की राशि निम्नानुसार किया जाना है:-

1	पेंशन	राशि ₹ 20,000/- के स्थान पर राशि ₹ 35,000/- प्रति माह की दर से
2	कुटुंब पेंशन	राशि ₹ 10,000/- के स्थान पर राशि ₹ 25,000/- प्रति माह की दर से

नोट:- जिन माननीय पूर्व सदस्यों की कालावधि पाँच वर्ष से अधिक है को देय अतिरिक्त पेंशन तथा चिकित्सा भत्ता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है, जो पूर्वानुसार ही देय है।

संदर्भित राजपत्र क्रमांक जो वैबसाइट <http://egazette.cg.nic.in/View.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार संशोधन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र./पुन.पेंशन/एम.एल.ए./ब/आर-2/

दिनांक 11/11/2020

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), CHHATTISGARH, RAIPUR

Registered Special Seal Authority Letter

SI No. Pension/Rev. Pension/MLA/A/R-2/799

Dated : 11.11.2020

To

12. The Accountant General (A&E), Kerala, P. B. No. 5607, MG Road, Thiruvananthapuram-695039

Sub : Payment of Pension & Family Pension at revised rate to the Honourable Former Members elected from Chhatisgarh State – reg.

Ref : Letter No. 10592/L.A.S./...../Pension/161/2020 and 10594/L.A.S./...../Pension-96iv/2020 dated 14/10/2020 of Chhattisgarh Legislative Assembly Secretariat.

On the above cited subject, the amount of pension & family pension from 28.09.2020 to the Honourable Former Members, elected from the constituencies of Chhattisgarh State published in the Gazette of Chhattisgarh No. 445 dated 28/09/2020, is as given below :

1.	Pension	Amount at the rate of Rs.35,000/- per month in place of Rs.20,000/-
2.	Family Pension	Amount at the rate of Rs.25,000/- per month in place of Rs.10,000/-

Note : No increase has been made in the Additional Pension & Medical Allowance payable to those Honourable Former Members, whose tenure is more than five years, which is payable as before.

The referred Gazette No. can be downloaded from the website <http://egazatte.cg.nic.in/View.aspx>. Ensure payment after making the above revision.

Sd/-
Sr Accounts Officer/PA

Endt No./Rev. Pen./MLA/B/R-2/

Dated /11/2020

1. Under Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly Secretariat, Raipur, C.G. – for information.

/
Sr Accounts Officer/PA